कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 16–4– 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

क्रमांक सं0 402
दिनांक 23/04/2022
1566

विषय– **जनपद चमोली में प्रस्तावित रौता –मालकोटी सेरा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.89 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तनप**

सन्दर्भ भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं0 8बी॰/यू॰सी॰पी॰ /06/138/2020/एफ॰सी॰/2363 दिनांक 25–02–2021

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पोखरी के पत्र की छायाप्रति सहित 03 प्रतियों में निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र.स.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण। (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.78 है0 सिविल भूमि ग्राम नौली खसरा संख्या 204,205,208 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेषी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	शर्त मान्य है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू॰ 12,74,555.00 आर॰टी॰जी॰एस॰ के माध्यम UTTARANCHAL CAMPA के खाता सं0 150896143934348 में जमा कर दी गई है। **संलग्नः–1– चालान की प्रति।**
	(ख) गैर वानकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है, एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है। को वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवष्यक है।	जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 48/छब्बीस–2(2021–22) गोपेश्वर दिनांक 01 अक्टूबर दिसम्बर 2021 द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का वन विभगा के पक्ष में नामान्तरण/ हस्तान्तरण किया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित 3.78 है0 सिविल भूमि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1566/14–2–97 –800(II)/1997 दिनांक 17 मार्च 1997 के अनुसार संरक्षित वन की श्रेणी में आती है। अतः पुन आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धित कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **संलग्नः–2– जिलाधिकारी चमोली के आदेश की प्रति एंव खतोनी की प्रति।**
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रामण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्नक सं0–3 के रूप में संलग्न है। **संलग्नः–3**

14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक षिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विषेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के दिनिर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लगंन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लगंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशा फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि व अनावश्क रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाजियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे का यथा रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थालों को राज्य के वन विभाग को सौपनें से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/निय/न्यायालय आदेष /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू हो तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https// parivesh-nic-in/) पर अपलोड़ की जायेगी।	अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https// parivesh-nic-in/) पर अपलोड़ कर दी जायेगी।

अतः अनुरांध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

वनभूमि हस्तान्तरण

भवदीय,

22/04/2022

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 5204 /12-1 दिनाँकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पोखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।